न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

(न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट खोह)

वाद संख्या :— 02/34/2016

निवाजन बनाम मोहम्मद शहजान

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 21.06.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय स्वप्रेरणा से कैम्प कोर्ट खोह पर पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 04.03.2016 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1718/0.23, 1719/0.04 है. वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 16.05.2016 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी की प्रार्थी के हिस्से तक मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण बाद रजिस्टर्ड तामील सूचना के उपस्थिति न्यायालय नहीं आये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी विवादित मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2069—72 खाता संख्या 598 में प्रार्थी हिस्सेदार गैर खातेदार दर्ज है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है। प्रकरण में टी.आई. आदेश वर्ष 2016 से प्रचलन में है जिसका अभी निस्तारण नहीं हुआ है, जिसको करीब 2 वर्ष का समय हो गया है। अतः प्रकरण काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 1718/0.23, 1719/0.04 है. वाके ग्राम खोह तहसील राजगढ स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 04.03.2016 को ताफैसला दावा स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 21.06.2018 कैम्प कोर्ट खोह पर सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(पवन कुमार, आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(कैम्प कोर्ट खोह)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official